क्रम-संख्या–102

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 मई, 2016

वैशाख 22, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 9 / 2016 / 1234 / 6-पु-1–16-1300(23) / 2000

लखनऊ, 12 मई, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–38

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (छः) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(छः) निदेशक (पुलिस दूरसंचार) ऐसे उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) में से जिन्होंने संवर्ग में कुल 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार दिया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।	(छः) निदेशक (पुलिस दूरसंचार) ऐसे उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) में से, जिन्होंने ऐसे पद पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार किया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव।